दिल्ली, 18 नवंबर 2013

आदरणीय अन्ना जी,

कल रात चुनाव प्रचार से लौटते समय पता लगा कि आपकी चिट्ठी आई है। पहले तो मन में आशा जगी, चूंकि आपका हर संदेश मेरे लिए आशीर्वाद समान है। लेकिन चिट्ठी पढ़कर दुख हुआ, चिंता भी हुई।

आपने लिखा है कि आपसे मिलने कुछ लोग आये, जिन्होंने आपसे मेरी शिकायत की। आपने अपने पत्र में कई गंभीर सवाल उठाये हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपको अपना गुरू माना है। अपने पिता समान मानता हूं। आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब देना मेरा फर्ज़ है।

आपने कुछ ऐसे मुद्दे उठाएं हैं जिनपर कई बार पहले बात हो चुकी है। उन सवालों के जवाब से आप संतुष्ट भी हो चुके हैं। चिंता यह हुई कि झूठे और मनगढ़ंत आरोप आप तक कौन पहुंचा रहा है और उसकी नीयत क्या है? लेकिन पत्र के अंत में आपने लिखा है कि ''मेरा मानना है कि इन सारी बातों में सच्चाई नहीं होगी''। आपका विश्वास मुझपर कायम है- इससे मुझे खुशी हुई।

आपने पत्र में तीन प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह कि हम विधानसभा चुनाव में जनलोकपाल बिल पास करने का वादा कैसे कर सकते हैं? अन्ना, आप जानते हैं कि मैं, प्रशांत भूषण और हमारे अनेक सहयोगी कानून की बारीकियां समझते हैं। ज़ाहिर है दिल्ली विधानसभा द्वारा पास किया कोई भी कानून प्रधानमंत्री, संसद सदस्यों या केंद्र सरकार के अफसरों पर लागू नहीं होगा। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड में इस बिल को मान लिया गया था तो आपने स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री खंडूरी के साथ प्रेस कांफ्रेंस में बैठकर उसका समर्थन किया था। आपने खुद महाराष्ट्र में इस बिल को लागू करवाने के लिए मई 2012 में महाराष्ट्र की यात्रा की थी। हम दिल्ली में वही करने जा रहे हैं। 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में हम वही बिल पास करने जा रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक से लेकर सभी अफसर और कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। मुझे विश्वास है कि इस शुभ अवसर पर हमें आशीर्वाद देने आप पधारेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि जल्द ही हमें पूरे देश की जनता से यह बिल संसद से पास करवाने का जनादेश मिलेगा।

आपका दूसरा सवाल है कि हमारी पार्टी कहीं अपने चुनाव प्रचार करने या चुनावी फंड इकट्ठा करने में आपके नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रही? पता नहीं आपको कौन लोग, किस इरादे से ऐसी झूठी बातें पहुंचा रहे हैं। आपने जब से यह सार्वजनिक आग्रह किया था कि पार्टी के प्रचार में आपके नाम या छवि का कोई इस्तेमाल न किया जाए तक से हमने आपके निर्देश का अक्षरशः पालन किया है। पार्टी की फिल्म, पोस्टर या किसी भी प्रचार सामग्री मे हम आपकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम यह जरूर कहते हैं कि अगस्त 2011 में 'अन्ना आंदोलन' हुआ था। यह एक ऐतिहासिक सच है, जिसे कोई भी झुठला या बदल नहीं सकता, स्वयं आप भी नहीं।

जहां तक 'अन्ना कार्ड' का संबंध है, इसका *आम आदमी पार्टी* से कोई लेना-देना नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि यह कार्ड जनलोकपाल आंदोलन के समय फरवरी 2012 में आपकी जानकारी और सहमति से जारी हुआ था। इस कार्ड की कीमत 25 रुपये थी और इसे खरीदने वाले को आंदोलन संबंधी एस.एम.एस. जाते थे। इस कार्ड के

जरिए हमारे आंदोलन को फरवरी-मार्च 2012 में 1,59,415 रुपये और अप्रैल-जुलाई 2012 में 7,67,115 रुपये इकट्ठे हुए थे। कार्ड के जरिए इकट्ठा हुए इस चंदे का पी.सी.आर.एफ. (पब्लिक कॉज़ रिसर्च फाउंडेशन) के ऑडिटेड अकाउंट में दोनों साल में स्पष्ट रूप से जिक्र है। पार्टी बनने की घोषणा के काफी समय पहले ही 'अन्ना कार्ड' की बिक्री को बंद कर दिया गया था। यही नहीं, जिन लोगों के पास बिना इस्तेमाल किए कार्ड बचे थे, उन्हें हमने पैसे रिफण्ड भी कर दिए थे। अन्ना कार्ड के जरिए *आम आदमी पार्टी* के लिए एक भी पैसा चंदा इकट्ठा करने का सवाल ही नहीं उठता।

आपका तीसरा सवाल है कि जनलोकपाल आंदोलन के दौरान कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहीं उस चंदे का चुनाव के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? अन्ना, आयकर कानून के मुताबिक हम आंदोलन का पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। यह आयकर कानून का उल्लंघन होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो आयकर कानून के तहत हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

आपने यह भी लिखा है कि रामलीला मैदान और जंतर मंतर के अनशन के दौरान कितना पैसा इकट्ठा हुआ और उसका क्या हुआ, इसकी जानकारी आपको नहीं दी है। अन्ना, आपके इस सवाल और वक्तव्य ने मुझे सबसे अधिक पीड़ा पहुंची है, चूंकि इस सवाल पर एक बार नहीं अनेक बार अनौपचारिक और औपचारिक चर्चा हो चुकी है, सामान्य और असाधारण ऑडिट हो चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई एक स्पेशल टीम भी हमारे सभी अकाउंट्स की चैकिंग कर चुकी है। इस सबके द्वारा जांच में संतुष्ट होने के बाद भी जब आप यह प्रश्न उठाते हैं तो स्वाभाविक है कि मुझे दु:ख होगा। संभव है आपको हर बात याद न हो इसलिए मैं मुख्य तथ्यों को एक बार फिर दोहरा दूं:

1) 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' अपने आप में कोई वैधानिक संस्था नहीं थी, इसलिए इस आंदोलन की तमाम औपचारिकताएं पी.सी.आर.एफ. (पब्लिक कॉज़ रिसर्च फाउंडेशन) के तत्त्वावधान में की जाती थी।

2) रामलीला मैदान अनशन की समाप्ति पर रालेगांव सिद्धि में IAC कोर कमेटी की आपके नेतृत्व में 10-11 सितंबर 2011 को बैठक हुई थी। बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक अप्रैल से सितंबर तक आंदोलन के आय-व्यय का विशेष ऑडिट करवाया गया। और उसे 1 नवंबर 2011 को वेबसाइट पर डाल दिया गया और हमने बिना मांगे यह रिपोर्ट इन्कम टैक्स विभाग को भी सौंप दी।

3) मई 2012 में हमने आपसे अनुरोध किया था कि PCRF के खातों की आप स्वयं जांच कराएं। इस पर आपने एक विशेष कमेटी का गठन किया था, जिसमें आपके विशेष प्रतिनिधि श्री सुरेश पठारे, दादा पठारे व आपके द्वारा भेजे गए कुछ अन्य लोग थे। इन्होंने 2,3,4 जून 2012 को PCRF के अकाउंट की पूरी जांच की और पूरी संतुष्टि व्यक्त की।

4) आंदोलन के पैसे का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। अगस्त 2012 में हुए अनशन तक आंदोलन का सारा पैसा खर्च हो चुका था। यह इस बात से साबित होता है कि आंदोलन शुरू होने के पहले PCRF के कॉर्पस फंड में 1 अप्रैल 2011 को 54 लाख रुपये थे। आंदोलन खत्म होते-होते यह घट कर 14 लाख रुपये रह गए थे। रेमन मैग्सैसे पुरस्कार में मिली सारी राशि मैं आंदोलन में लगा चुका था।

अन्ना, यह सब आपकी जानकारी में हुआ, आपके निर्देश पर हुआ। जब-जब आंदोलन के चंदे पर सवाल उठे, आपसे चर्चा कर जांच व ऑडिट कराया गया। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इस आंदोलन ने सार्वजनिक जीवन में रुपये-पैसे के मामले में शुचिता और पारदर्शिता के नए प्रतिमान बनाए।

इस सबके बावजूद अगर आपके मन में प्रश्न बाकी हैं तो उनका उत्तर देना हमारा कर्त्तव्य है। हम इस देश की राजनीति को साफ और पारदर्शी करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी शुरू से लेकर आज तक की सारी जांच सार्वजनिक रूप से कराई जाए।

मेरा एक प्रस्ताव है। जस्टिस संतोष हेगड़े अथवा उन्हीं के जैसी छवि वाले किसी रिटायर्ड जज से आप IAC आंदोलन की शुरुआत से आज तक PCRF और *आम आदमी पार्टी* के अकाउंट की जांच के लिए अनुरोध करें। जस्टिस हेगड़े सार्वजनिक रूप से हमारे खिलाफ शिकायतें मंगाएं। जवाब में वो जो भी सूचना हम से मांगेंगे वो हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। मैं चाहता हूं कि जस्टिस हेगड़े की यह जांच अगले एक हफ्ते में पूरी हो जाए।

मैं आपको और पूरे देश को आश्वासन देता हूं कि अगर जस्टिस हेगड़े अपनी जांच में पाते हैं कि जनलोकपाल आंदोलन के हिसाब में कोई हेरा-फेरी हुई या फिर आंदोलन के चंदे का पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ तो मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापिस ले लूंगा।

अन्ना, यदि जांच में कोई गलती नहीं मिलती, तो मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को उम्मीद है कि *आम आदमी पार्टी* का प्रचार करने आप दिल्ली आएंगे।

अन्ना, आपकी तरह मैं भी हमेशा इसका ध्यान रखता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को कोष के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए सरकार और साज़िशकर्ताओं की तमाम कुटिलताओं के बाद भी आज तक एक भी पैसे का दाग आंदोलन या *आम आदमी पार्टी* पर नहीं लगा है। मुझे उम्मीद है इस जांच से यह अंतिम रूप से साबित हो जाएगा कि मैं इस मायने में अपने गुरु के उच्च आदर्शों पर खरा उतर पाया हूं या नहीं।

आपका

अरविंद केजरीवाल

पुनश्चः इस मुद्दे की गंभीरता और चुनाव की इस नाजुक घड़ी को देखते हुए मैं आपके पत्र और अपने उत्तर को देश की जनता के सामने रख रहा हूं।